

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/56) श्रीमती विनिता कर्णावट व अन्य बनाम आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.2024	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, पुनित शर्मा - वकील अपीलार्थी 2. श्री एन.एस.चुण्डावत - वकील प्रत्यर्थी-2 से 7 3. सुश्री प्रमोदनी बक्षी - वकील प्रत्यर्थी-1 4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-8 <p style="text-align: center;">अनवान</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्रीमती विनिता कर्णावट पत्नि श्री अजय कर्णावट, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद। 2. श्रीमती सपना सुराणा पत्नि श्री हेमन्त कुमार सुराणा, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद। 3. श्रीमती रूची खण्डेलवाल पत्नि श्री राजेश खण्डेलवाल, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद। 4. श्री आशा जैन पत्नि श्री अरूण जैन, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद। 5. श्रीमती छाया पालीवाल पत्नि श्री ललित पालीवाल, निवासी सुशील नगर, 100 फीट रोड़, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद। <p style="text-align: right;">अपीलार्थी</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर परिषद्, राजसमंद जरिये आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद। 2. श्री भवानीशंकर पिता श्री राधाकृष्ण पालीवाल, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमंद। 3. श्री नरेश पिता श्री राधाकृष्ण पालीवाल, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमंद। 4. श्रीमती धापूबाई पत्नि श्री राधाकृष्ण पालीवाल, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमंद। 5. श्री उमाशंकर पिता श्री नन्दराम पालीवाल, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमंद। 6. श्रीमती हेमलता पत्नि श्री उमाशंकर पालीवाल, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमंद। 7. श्री लोकेश पिता श्री उमाशंकर पालीवाल, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमंद। 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमंद जिला राजसमंद। <p style="text-align: right;">प्रत्यर्थी</p> <p>अपील अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद द्वारा पारित आदेश क्रमांक प्राधि.अ./न.प.रा./भूमि रूपा./2018, मामला संख्या 16/2018-19/7518 दिनांक 31.12.2018</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p style="text-align: right;">दिनांक 23.07.2024</p> <p>उक्त अपील अपीलान्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद द्वारा पारित आदेश क्रमांक प्राधि.अ./न.प.रा./भूमि रूपा./2018, मामला संख्या 16/2018-19/7518 दिनांक 31.12.2018 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/56) श्रीमती विनिता कर्णावट व अन्य बनाम आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद समक्ष राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील राजसमंद के आराजी संख्या 554 किता 1 रकबा 00-11-00 बीघा कृषि भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ खातेदारी अधिकार समर्पण किये जाने बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद द्वारा स्वीकार करते आदेश क्रमांक प्राधि.अ./न.प.रा./भूमि रूपा./2018, मामला संख्या 16/2018-19/7518 दिनांक 31.12.2018 अन्तर्गत धारा-90क एलआर एक्ट का पारित किया। <p>प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद के आदेश क्रमांक प्राधि.अ./न.प.रा./भूमि रूपा./2018, मामला संख्या 16/2018-19/7518 दिनांक 31.12.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तदनुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 19.07.2024 को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई।</p> <p>विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित में कथन प्रस्तुत किये है कि राजस्व ग्राम धोईन्दा में अपीलार्थी की कृषि भूमि आराजी संख्या 555 रकबा 11 बिस्वा अर्थात 0.0890 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी के सटमा पश्चिम दिशा में रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 7 ने अपनी आराजी संख्या 554 रकबा 11 बिस्वा भूमि को तथ्य छिपाकर अपीलार्थी की आपत्ति होते हुए भी उसका निस्तारण किये बिना अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया। उक्त आदेश से पूर्व अपीलार्थी को नहीं सुना गया और अपना पक्ष रखने का भी अवसर नहीं दिया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपनी आपत्ति पेश कर रखी थी। अपीलार्थी द्वारा आराजी संख्या 555 की भूमि पूर्वाधिकारी से क्रय की गई थी तब उक्त भूमि में आने जाने हेतु प्रत्यर्थी- 2 से 7 की आराजी संख्या 554 में से पश्चिम दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता मौजूद था, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को अपनी भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त आपत्ति समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर भी इस निस्तारण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो काबिल निरस्त के है। उक्त आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया, जिससे उसे उक्त निर्णय की जानकारी ससमय नहीं हो सकी और जब प्रत्यर्थी 2 से 7 द्वारा उक्त रास्ता बन्द करने की कार्यवाही आरम्भ की गई तो उक्त निर्णय की जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। उक्त अपीलाधीन निर्णय से अपीलार्थी के हक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है, ऐसे में अपीलार्थी</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/56) श्रीमती विनिता कर्णावट व अन्य बनाम आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>हितबद्ध व्यक्ति होने से अपील के साथ अपील स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।</p> <p>प्रत्यर्था-2 से 7 द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन प्रस्तुत किये कि आवेदित भूमि का प्रत्यर्था-2 से 7 खातेदार काश्तकार है, जिसने विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी खातेदारी भूमि को समर्पित करते धारा-90क की कार्यवाही बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए अखबार में उजरदारी आमंत्रित करते हुए संबंधित विभागों एवं तहसीलदार से सहमति रिपोर्ट प्राप्त करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90का पारित किया, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त संपरिवर्तित भूमि के पट्टे भी जारी किये जा चुके हैं, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति नहीं है, उसके अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा-90क की कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं किये जाते हैं, इस कार्यवाही हेतु खातेदार ही आवेदन प्रस्तुत कर धारा-90क की कार्यवाही करा सकता है। इस प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार प्रत्यर्था-2 से 7 द्वारा अपने खातेदारी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय समक्ष समर्पित करते हुए धारा-90क की कार्यवाही हेतु आवेदन किया है। इस भूमि का अपीलार्थी कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहा। अपीलार्थी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने हक व अधिकार सक्षम न्यायालय से तय करावे और अपने अधिकार तय कराने उपरान्त ही उसे अपील पेश करने का अधिकार है। संक्षिप्त में यह लेख है कि अपीलार्थी न तो उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, न उसका कब्जा है, ऐसी स्थिति में उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील पूर्णतया मयाद बाधित है क्योंकि धारा-90क के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अखबार उजरदारी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और ऐसों में उसे अपीलाधीन आदेश की अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी फिर भी न्यायालय हाजा समक्ष झुटे शपथ पत्र के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आरबीजे 2016 पेज 318 2. आरबीजे 2018 पेज 388 (एच.सी.) 3. आरआरटी 2013 पेज 1 (एस.सी.) 4. आरआरडी 2013 पेज 323 (एच.सी.) 5. आरबीजे 2013 पेज 1 6. आरआरटी 2007 पेज 788 (एच.सी.) 7. आरआरटी 2007 पेज 939 (एस.सी.) 8. आरआरडी 1995 पेज 64 9. आरबीजे पेज 674 10. एआईआर 2011 एससी पेज 1237 <p>अधीनस्थ न्यायालय नगर परिषद्, राजसमंद की ओर से उपस्थित विद्वान</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/56) श्रीमती विनिता कर्णावट व अन्य बनाम आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अधिवक्ता द्वारा अपने कथन प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90क का आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। विवादित आराजीयात तुलछा पिता मुकना के नाम राजस्व रेकॉर्ड में साबिक दर्ज रही है। आवेदत आराजीयात प्रत्यर्थी-2 से 7 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने से रेकॉर्ड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन विधि अनुसार कराया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है और अपीलार्थीगण व्यथित व्यक्ति नहीं होने से उन्हें नगर परिषद्, राजसमंद द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90क विरुद्ध अपील पेश करने का अधिकार नहीं है।</p> <p>प्रत्यर्थी-8 तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अन्य अधिवक्तागण-प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का अनुरोध किया।</p> <p>हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।</p> <p>जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत हम यहां सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं धारा-5 मयाद अधिनियम पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक समझते हैं।</p> <p>हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति होने के संबंध में विभिन्न उजरात प्रस्तुत किये जिसके खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 8 द्वारा दृढ़ता से अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट हुई है कि अधीनस्थ न्यायालय नगर परिषद् समक्ष प्रत्यर्थी-2 से 7 द्वारा जमाबंदी संवत् 2069-2072 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वह राजस्व ग्राम धोईन्दा के आराजी संख्या 554 रकबा 00-11-00 बीघा के रेकॉर्डेड खातेदार है और एक रेकॉर्डेड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन विधि अनुसार कराये जाने हेतु अधिकृत है। सवप्रथम यह मुख्य रूप से देखा जाना अपेक्षित है कि आवेदित आराजी संख्या 554 रकबा 00-11-00 बीघा कभी भी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रहा है या नहीं। इस संबंध में अभिलेखों पर ऐसा कोई दस्तावेज न तो उपलब्ध है, न ही प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करता हो कि अपीलार्थी आवेदित भूमि का कभी खातेदार काश्तकार रहा हो, या उसके कब्जे में रही हो। इसके अतिरिक्त यह भूमि कभी भी अपीलार्थी की पैतृक भूमि रही हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह उज्र पेश किया गया कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जो अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत किया जाना प्रकट करते हो। न ही अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज इस न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/56) श्रीमती विनिता कर्णावट व अन्य बनाम आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति जाहिर नहीं होता है क्योंकि विवादित आराजीयात कभी भी उनके व्यक्तिगत नाम से खातेदारी दर्ज नहीं थी और न ही वह इस भूमि पर मालिक होकर काबिज है। साथ ही उनके कोई वैधानिक अधिकार प्रकट नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार्य योग्य नहीं है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम दफा 96 जादी पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित सिद्धान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते है:</p> <p>RBJ 2014(21) Page 388: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – When name of petitioner has not been entered in the revenue record, he has not Locus Standi to challenge the order passed under section 90B. It is abundantly clear that the petitioner is claiming his right on the ground that his name was erroneously not entered in the revenue record and respondent No. 5 and 6 got conversion of land in their favour under section 90B of the Act of 1956. The Divisional Commissioner has rightly rejected the petitioner’s prayer on the ground that he has no locus standi because as per petitioner admission, his name is not entered in revenue record. However, if any right will be determined by the Civil Court in the suit filed by him. Then, the petitioner will be at liberty to raise voice against the order passed under section 90B of the Act of 1956 but at this stage no relief can be granted to the petitioner solely on the ground that his name is not entered in the revenue record. Writ petition dismissed.</p> <p>RBJ 2011(18) Page 510: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – Only a person who has interest in the land, can challenge acquisition of land – it is a well settled proposition of law that is only a person, who has an interest in the land, can challenge acquisition. When a challenge is made to an acquisition at a belated stage, then even of the court is inclined to allow such a belated challenge, it must first satisfy itself that the person challenging acquisition has title to the land. Writ petition dismissed.</p> <p>मयाद के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा अपने अपने कथन प्रस्तुत किये जिसमें अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख उज्र प्रस्तुत किया जिसके खण्डन के अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी आरम्भ से होने का कथन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि प्रत्यर्थी-2 से 7 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अखबार उजरदारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया परन्तु अखबार प्रकाशन के उपरान्त किसी प्रकार का उज्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अखबार प्रकाशन के उपरान्त यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदित भूमि के संबंध में धारा-90क</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/56) श्रीमती विनिता कर्णावट व अन्य बनाम आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>के तहत प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थी को न हो। प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे हैं। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे हैं, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये हैं, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं हैं। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकॉर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से विलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा 4 साल 6 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम मयाद के बिंदु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते हैं, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते हैं:</p> <p><u>आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)</u></p> <p>परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 100-विलम्ब का शमन-अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब-मुक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपना जा सकता अन्यथा यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा - विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं-निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है।</p> <p><u>आर.बी.जे(5) 1998 पेज 512 उनवानी हुक्मा बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर)</u></p> <p>Limitation Act, 1963 – Section 5 – When appellant did not explain the reasons for late filing of the appeal after the knowledge of the judgement passed by the Court against him, delay cannot be condoned – in the present case this was an admitted position that the appellant filed appeal after 10 years from the date of judgement of the RAA. He claimed that he was not informed by his advocate about the judgement passed by the RAA. He come to know through mutation No. 44 against which he filed the appeal which was dismissed. Therefore from the facts it is clear that when he obtained the copy of mutation and filed the appeal against the mutation order he come to know the</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/56) श्रीमती विनिता कर्णावट व अन्य बनाम आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>judgement. But he did not prefer the appeal. Hence from the date of knowledge the appeal is time barred. Therefore, Board of Revenue rejected the appeal as time barred.</p> <p>उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी गई।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति निर्विवादित है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-2 से 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद्, राजसमंद समक्ष राजस्व ग्राम धोईन्दा के आराजी संख्या 554 किता 1 रकबा 00-11-00 बीघा कृषि भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ खातेदारी अधिकार समर्पण किये जाने बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 अनुसार आवेदक प्रत्यर्थी-2 से 7 आवेदित भूमि का खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदारान ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर समाचार पत्र में प्रकाशित कर सर्व साधारण से 7 दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई, जिस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार एवं स्थानीय अधिकारी से सहमति रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद्, राजसमंद द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के परिक्षण उपरान्त यह पाया कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इन तथ्यों अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदित भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा-90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 31.12.2018 को प्रत्यर्थी-2 से 7 के पक्ष में पारित किया।</p> <p>जहां तक रास्ता के विवाद का प्रश्न है, उसके लिये राजस्थान भू-राजस्व नियमावली में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है। उक्त अपील धारा-90क के तहत पारित आदेश दिनांक 31.12.2018 के विरुद्ध की गई जो जिसकी अपील धारा-90क के तहत प्रावधित है इस न्यायालय समक्ष धारा-90क के आदेश की विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें किसी के हक व अधिकार साबित नहीं किये जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदारान प्रत्यर्थी- 2 से 7 ने अपनी खातेदारी की भूमि के संबंध में धारा-90क की कार्यवाही चाही गई, इस न्यायालय समक्ष धारा-90क की कार्यवाही में की गई त्रुटि के संबंध में</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/56) श्रीमती विनिता कर्णावट व अन्य बनाम आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>जांच किया जाना अपेक्षित है, जिसमें जांच उपरान्त उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।</p> <p>प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदारान प्रत्यर्थी-2 से 7 ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इस संबंध में हम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निम्नांकित दृष्टांत का भी उल्लेख किया जाना उचित पाते हैं:</p> <p>RBJ 2014(21) Page 97: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – When the Khatedar tenant of the land applies for conversion of his khatedari land before authorized officer and after enquiry as per Rules for conversion of land order is passed. Order of conversion cannot be interfered in revision. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदारान ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित रूपान्तरण आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। Revision petition dismissed.</p> <p>दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 से 7 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की परिस्थितियों से सुसंगत होने से चस्पा होते हैं।</p> <p>उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। गुणावगुण पर प्रकरण के विस्तृत विश्लेषण एवं परिक्षणोपरांत भी यह पाया गया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। परिणामतः अपील अपीलान्त मयाद बाधित होने, अपीलार्थी के व्यथित व्यक्ति नहीं होने से एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2018 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p>(सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	